मिसल नम्बर 25/2021
निर्णय दिनांक 02-07-2021

राजस्थान सरकार

# न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– **25/2021**

**सरकार**

**बनाम**

धर्मपाल सिंह पुत्र श्री बालू सिंह जाति राजपूत निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

....................गैर सायल

**(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)**

**दिनांक :– 02–07–2021**

**–: <u>निर्णय</u> :–**

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल की ओर से कोई हाजिर नही। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का गाडराटा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम गाडराटा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 एवं बारानी–3 के रकबा 0.02 हेक्टेयर पर गैर सायल धर्मपाल सिंह पुत्र श्री बालू सिंह जाति राजपूत निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 द्वारा नीव भरकर पक्की दिवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिकमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस गैर सायल की पत्नी से तामील हो चूका है जो कि गैर सायल को सूचना हेतु र्प्याप्त है। नोटीस की सूचना के बावजूद गैर सायल की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल धर्मपाल सिंह पुत्र श्री बालू सिंह जाति राजपूत निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **राजस्व ग्राम गाडराटा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 एवं बारानी–3 के रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि पर नीव भरकर एवं पक्की दिवार लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का गाडराटा की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

मिसल नम्बर 25/2021
निर्णय दिनांक 02–07–2021

## –: आदेश :–

अतः प्रकरण में गैर सायल की अनुपस्थिति में गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का गाडराटा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायलान को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम गाडराटा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 एवं बारानी–3 के रकबा 0.02 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का गाडराटा से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम गाडराटा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 एवं बारानी–3 के रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुंझुनूं